रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2006/चैत्र 9, 1928
No. 305] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2006/CHAITRA 9, 1928

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2006

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11(3) के अधीन भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध-परिषद् के अधिक्रमण की कालावधि को बढ़ाने के लिए अधिसूचना

का. आ. 455(अ).—फा. सं. भाप्रविबो/विधि/43504/2005 तारीख 30 जून, 2005 की अधिसूचना (''उक्त अधिसूचना'') द्वारा भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध-परिषद् (''प्रबंध-परिषद्'') के अधिक्रमण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''भाप्रविबो'') द्वारा 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया था और श्री जय प्रकाश वर्मा, आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) प्रबंध-परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर बने रहे।

मैंने नोट किया है कि प्रशासक ने एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में विभिन्न सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ पर अविरत अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है। मेरा विचार है कि एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को आगे सुचारू बनाने के लिए, नए प्रबंध-परिषद् के निर्वाचन तथा गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय, और निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) तथा अपरस्परीकरण (डीम्युचुअलाइजेशन) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी, प्रबंध-परिषद् के अधिक्रमण की कालावधि को 30 सितम्बर, 2006 तक की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 573 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में यथा आदिष्ट भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध-परिषद् के अधिक्रमण को एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी 30 सितम्बर, 2006 तक की छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है। श्री जय प्रकाश वर्मा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) प्रशासक के तौर पर बने रहेंगे और प्रबंध-परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे, इस प्रकार बढ़ाई गई कालावधि के दौरान श्री जय प्रकाश वर्मा ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकेंगे जैसा वे प्रशासक के तौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक समझें।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/63415/2006]

जी. अनंतरामन्, पूर्णकालिक सदस्य

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2006

Notification under Section 11(3) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 for Extending the Period of Supersession of the Council of Management of Bhubaneswar Stock Exchange Limited.

S.O. 455(E).—*Vide* notification F. No. SEBI/LE/43504/2005 dated June 30, 2005 ("said notification") the supersession of the Council of Management of the Bhubaneswar Stock Exchange Limited ("Council of Management") was extended by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") upto March 31, 2006 and Shri Jai Prakash Verma, IPS (Retd.) continued as an Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management.

I have noted that the Administrator has initiated various corrective measures in the functioning of the Exchange, some of which require sustained follow up action. I am of the view that in order to further streamline the functioning of the Exchange, time required to complete the process of election and constitution of the new Council of Management and also to complete the process of corporatisation and demutualisation, the period of supersession of the Council of Management is required to be extended for a further period of six months upto September 30, 2006.

In view of the aforesaid, in exercise of the powers conferred upon me under Section 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Notification. No. S.O. 573 dated July 30, 1992 issued by Central Government, the supersession of the Council of Managment of the Bhubaneswar Stock Exchange Limited as ordered in the said notification is hereby extended for a further period of six months upto September 30, 2006 with effect from April 01, 2006. Shri Jai Prakash Verma, IPS (Retd.) shall continue as the Administrator and shall exercise and perform all the powers and duties of the Council of Management, during the period so extended. Shri Jai Prakash Verma may take assistance of such persons as he deems necessary in discharge of his duties as Administrator.

[F. No. SEBI/LE/63415/2006]

G. ANANTHARAMAN, Whole Time Member

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2006

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11(3) के अधीन कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की समिति के अधिक्रमण की कालावधि को बढ़ाने के लिए अधिसूचना

का.आ. 456(अ).—फा. सं. भाप्रविबो/विधि/43508/2005 तारीख 29 जून, 2005 की अधिसूचना ("उक्त अधिसूचना") द्वारा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की समिति ("समिति") के अधिक्रमण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("भाप्रविबो") द्वारा 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया था और श्री टी. के. दास, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) समिति की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर बने रहे।

मैंने नोट किया है कि प्रशासक ने एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में विभिन्न सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ पर अविरत अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है। मैंने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (डीम्युचुअलाइजेशन) स्कीम, 2005 के अनुसार प्रशासक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को भी नोट किया है और यह कि तर्कहीन मांग जिसमें साधिकार शेयरों का निर्गमन सम्मिलित है और सदस्यों के एक वर्ग द्वारा मचाए गए उपद्रव, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक साधारण अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, के मद्देनज़र वार्षिक साधारण अधिवेशन में संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में तत्स्थानी संशोधन अनुमोदित नहीं हो सके। मैं आगे यह भी नोट करता हूं कि एक्सचेंज ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (डीम्युचुअलाइजेशन) स्कीम, 2005 के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसलिए, मेरा विचार है कि एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को आगे सुचारू बनाने के लिए, नई समिति के निर्वाचन तथा गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय, और निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) तथा अपरस्परीकरण (डीम्युचुअलाइजेशन) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी, समिति के अधिक्रमण की कालावधि को 30 सितम्बर, 2006 तक की छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 573 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में यथा आदिष्ट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिऐशन लिमिटेड की समिति के अधिक्रमण को एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी 30 सितम्बर, 2006 तक की छह मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है। श्री तुशार कांतिदास, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) प्रशासक के तौर पर बने रहेंगे और समिति की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे, इस प्रकार बढ़ाई गई कालावधि के दौरान श्री तुषार कांति दास ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकेंगे जैसा वे प्रशासक के तौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक समझें।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/63414/2006]

जी. अनंतरामन्, पूर्णकालिक सदस्य

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2006

Notification under Section 11(3) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 for Extending the Period of Supersession of the Committee of The Calcutta Stock Exchange Association Limited.

S.O. 456(E).—Vide notification F. No. SEBI/LE/43508/2005 dated June 29, 2005 ("said notification") the supersession of the Committee of the Calcutta Stock Exchange Association Limited ("Committee") was extended by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") upto March 31, 2006 and Shri T. K. Das, IAS (Retd.) continued as an Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Committee.

I have noted that the Administrator has initiated various corrective measures in the functioning of the Exchange, some of which require sustained follow up action. I have also noted various steps taken by the Administrator in accordance with The Calcutta Stock Exchange Association Limited (Demutualisation) Scheme, 2005 and that the corresponding amendments to the Memorandum and Articles of Association could not be approved in the Annual General Meeting in view of the illogical demand including issue of Rights shares and chaos created by a section of the members which resulted in the adjournment of the Annual General Meeting sine die. I further note that the exchange has also initiated the process of appointment of Chief Executive Officer in accordance with The Calcutta Stock Exchange Association Limited (Demutualisation) Scheme, 2005. Therefore, I am of the view that in order to further streamline the functioning of the Exchange, time required to complete the process of election and constitution of the new Committee and also to complete the process of corporatisation and demutualisation, the period of supersession of the Committee is required to be extended for a further period of six months upto September 30, 2006.

In view of the aforesaid, in exercise of the powers conferred upon me under Section 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Notification No. S.O. 573 dated July 30, 1992 issued by Central Government, the supersession of the Committee of The Calcutta Stock Exchange Association Limited as ordered in the said notification is hereby extended for a further period of six months upto September 30, 2006 with effect from April 1, 2006. Shri Tushar Kanti Das, IAS (Retd.) shall continue as the Administrator and shall exercise and perform all the powers and duties of the Committee, during the period so extended. Shri Tushar Kanti Das may take the assistance of such persons as he deems necessary in discharge of his duties as Administrator.

[F. No. SEBI/LE/63414/2006]

G. ANANTHARAMAN, Whole-Time Member

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2006

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11(3) के अधीन उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के शासी बोर्ड के अधिक्रमण की कालावधि को बढ़ाने के लिए अधिसूचना

का.आ. 457(अ).—फा. सं. भाप्रविबो/विधि/43510/2005 तारीख 30 जून, 2005 की अधिसूचना (''उक्त अधिसूचना'') द्वारा, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के शासी बोर्ड (''शासी बोर्ड'') के अधिक्रमण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''भाप्रविबो'') द्वारा 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया था और श्री एम. एन. सभरवाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) शासी बोर्ड की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने और पालन करने के लिए प्रशासक के तौर पर बने रहे।

मैंने नोट किया है कि प्रशासक ने एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में विभिन्न सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ पर अविरत अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित है। मैंने यह भी नोट किया है कि श्री के.सी. पांडे, एक्सचेंज के कार्यपालक निदेशक 26 अगस्त, 2005 से निलंबित हैं, परिणामस्वरूप शीर्ष प्रबंध-तंत्र में रिक्ति है। श्री पांडे ने उनके खिलाफ शुरू की गई जांच कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की है। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से यूपीएसई को अवरूद्ध करते हुए रोक दे दी है, अगले आदेशों तक। आगे, विस्तृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के संबंध में सितम्बर, 2005 में भाप्रविबो द्वारा हाल ही में किए गए विशेष प्रयोजन वाले निरीक्षण के निष्कर्षों से एक्सचेंज की निगरानी प्रणाली में कतिपय दुर्बलताएं प्रकट हुईं जिनमें आधार न्यूनतम पूंजी का बनाए न रखा जाना, समुचित स्तरों पर मार्जिनों की वसूली न किया जाना, आदि सम्मिलित है। इसलिए, मेरा विचार है कि एक्सचेंज की कार्यप्रणाली को आगे सुचारू बनाने के लिए, नये शासी बोर्ड के निर्वाचन तथा गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय, और निगमीकरण (कॉर्पोरेटाइजेशन) तथा अपरस्परीकरण (डीम्युचुअलाइजेशन) की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी, शासी बोर्ड के अधिक्रमण की कालावधि को छः मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 11 और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी तारीख 30 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 573 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में यथा आदिष्ट उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिऐशन लिमिटेड के शासी बोर्ड के अधिक्रमण

को एतद्द्वारा 01 अप्रैल, 2006 से प्रभावी, 30 सितम्बर, 2006 तक की छः मास की अतिरिक्त कालावधि के लिए बढ़ाया जाता है। श्री एम. एन. सभरवाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) प्रशासक के तौर पर बने रहेंगे और शासी बोर्ड की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेंगे, इस प्रकार बढ़ाई गई कालावधि के दौरान श्री एम. एन. सभरवाल ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकेंगे जैसा वे प्रशासक के तौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक समझे।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/63413/2006]

जी. अनंतरामन्, पूर्णकालिक सदस्य

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2006

Notification under Section 11(3) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 for Extending the Period of Supersession of the Governing Board of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited.

S.O. 457(E).—*Vide* notification F. No. SEBI/LE/43510/2005, dated June 30, 2005 ("said notification") the supersession of the Governing Board of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited ("Governing Board") was extended by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") upto March 31, 2006 and Shri M. N. Sabharwal, IPS (Retd.) continued as an Administrator to exercise and perform all the powers and duties of the Governing Board.

I have noted that the Administrator has initiated various corrective measures in the functioning of the Exchange, some of which require sustained follow up action. I have also noted that Shri K.C. Pandey, Executive Director of the Exchange is under suspension since August 26, 2005, resulting in a vacuum at the top management. Shri Pandey has filed a writ petition before the Hon'ble Allahabad High Court challenging the enquiry proceedings initiated against him. The Hon'ble High Court has granted a stay restraining the UPSE from taking any action against Shri Pandey on the basis of the enquiry report submitted by the enquiry officer, till further orders. Further, the findings of the recent special purpose inspection carried out by SEBI in September, 2005 regarding comprehensive risk management framework revealed certain weaknesses in the surveillance system of the exchange including non-maintenance of Base Minimum Capital, non-recovery of margins at appropriate levels, etc. Therefore, I am of the considered view that in order to further streamline the functioning of the Exchange, time required to complete the process of election and constitution of the new Governing Board and also to complete the process of corporatisation and demutualisation, the period of supersession of the Governing Board is required to be extended for a further period of six months.

In view of the aforesaid, in exercise of the powers conferred upon me under Section 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Section 11 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Notification no. S.O. 573 dated July 30, 1992 issued by Central Government, the supersession of the Governing Board of the Uttar Pradesh Stock Exchange Association Limited as ordered in the said notification is hereby extended for a further period of six months upto September 30, 2006, with effect from April 1, 2006. Shri M.N. Sabharwal, IPS (Retd.) shall continue as the Administrator and shall exercise and perform all the powers and duties of the Governing Board, during the period so extended. Shri M.N. Sabharwal may take assistance of such persons as he deems necessary in discharge of his duties as Administrator.

[F. No. SEBI/LE/63413/2006]

G. ANANTHARAMAN, Whole Time Member

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.